न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल,मध्य प्रदेश ,ग्वालियर

कैंप – भोपाल

निगरानी प्रकरण कं. ....

1. श्रीमती पुष्पा कुशवाह पत्नी बदामीलाल
निवासी बुदनी,तह.बुदनी जिला–सीहोर
2. अशोक कुशवाह पुत्र जगदीश कुशवाह
निवासी–सिवनी मालवा
जिला–होशंगाबाद(म.प्र.)..................................निगरानीकर्ता

अभिभाषक श्री............
द्वारा आज दिनांक............
को पेश।

विरुद्ध

1. सुनीता कुशवाह पुत्री जगदीश कुशवाह
2. अनीता कुशवाह पुत्री जगदीश कुशवाह
दोनों निवासी–बुदनी
जिला– सीहोर...प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता विद्वान अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के प्रकरण कमांक 18/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07/02/2017 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है –

प्रकरण के तथ्य

1) यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के समक्ष तहसीलदार बुदनी के द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2014 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है।

2) यह कि अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 49(3) मध्य प्रदेश भू.रा.सं. के अंतर्गत इस आशय का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 989–दो / 17 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र वेर्मा द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 18 / अपील / 2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 7.2.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 49 (3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था इस कारण से उत्तरवादीगणों के साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण एवं आवेदकगणों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं जबाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे। आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 49 (3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था जो उनके द्वारा दिनांक 7.2.2017 को निरस्त किया जा चुका है उसी से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की	

निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के न्यायालय में प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है और उसी दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 49 (3) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था जो उनके द्वारा दिनांक 7.2.2017 को निरस्त किया जा चुका है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से मैं सहमत हूँ क्यों कि प्रकरण वर्ष 2015—16 से संचालित है और एक वर्ष के अंतराल में वह अपना साक्ष्य रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके, ऐसा लगता है कि प्रकरण को लंबित रखने की आवेदकगण की मंशा है। अतः अनुविभागीय अधिकारी बुदनी का आदेश दिनांक 7.2.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण की निगरानी बलहीन एवं महत्व हीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य